क.

अनवर अली और एक और

वी.

हिमाचल प्रदेश का राज्य (2016 की आपराधिक अपील संख्या 1121)

25 सितंबर, 2020

[अशोक भूषण**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:

ग

एसएस।302/34, 392, 201 और 420 के तहत अभियोजन-परिवेशी साक्ष्य-अभियोजन मामले में विरोधाभासों को देखते हुए निचली अदालत द्वारा बरी-उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को यह मानते हुए उलट दिया कि विरोधाभास प्रकृति में मामूली थे-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःपरिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, परिस्थितियां, संचयी रूप से ली जाती हैं, एक ऐसी पूरी श्रृंखला बनाती हैं कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं-जिन विरोधाभासों पर निचली अदालत द्वारा विचार किया गया था, उन्हें मामूली नहीं कहा जा सकता है-निचली अदालत को बरी करने के फैसले को दर्ज करने में यह कहते हुए उचित ठहराया गया था कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की पूरी श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा-उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश को उलटने में उचित नहीं ठहराया गया था।

डी.

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस।378 – बरी किए जाने के खिलाफ अपील-दायरे और दायरे में-आयोजितःअदालत बरी करने के आदेश में केवल मजबूर करने वाली परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है, जहां अपील के तहत आदेश विकृत है-वर्तमान मामले में, अपील के तहत बरी करने के आदेश को विकृत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की सराहना पर आधारित था।

च

जाँचः

दोषपूर्ण जाँच-यू/एस. एस. के प्रावधानों का गैर-अनुपालन।166(3) & (4) और 100 (4) करोड़। पी. सी.-आयोजितःप्रावधानों का गैर-अनुपालन अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है-लेकिन, जहां वसूली पर गंभीर संदेह है, गैर-अनुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस.100(4) और 166 (3) और (4)।

जी.

एच.

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

प्रमाणः

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-अभिप्रेरणा-अनुपस्थिति-प्रभाव-आयोजितःउद्देश्य का प्रमाण परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करता है-लेकिन उद्देश्य की अनुपस्थिति अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है-उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक हो सकता है जो अभियुक्त के पक्ष में हो सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** असाधारण मामलों में जहां मजबूर करने वाली परिस्थितियां हैं, और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है।अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए और आगे यह कि निचली अदालत का बरी होना उसकी निर्दोषता की धारणा को मजबूत करता है। नियमित तरीके से हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।**[**पैरा **2**।**1][894-**ई-एफ**]**

ग

डी.

बाबू बनाम केरल राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 189:[2010] 9

एस**.** सी**.** आर**. 1039;** विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य

(2019) 5 एससीसी **436:[2019] 6** एससीआर **994-**पर निर्भर।

1.2 यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा।लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।**[**पैरा **2**।**3] [895-**सी-डी**]**

ई.

च

कुलदिप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त **(1999) 2** एससीसी

10 :[1998] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 594-**पर निर्भर।

1.3 वर्तमान मामले में, अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को या तो विकृत या अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है और/या यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर किसी भी भौतिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया।**[**परिच्छेद **10] [905-**ख**] 2.1** परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, परिस्थितियों को, संचयी रूप से लिया जाए, एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इस प्रकार पूरी हो कि **-**

जी.

एच.

इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।**[**पैरा **5.4] [899-**ए-बी**]**

बाबू बनाम केरल राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 189:[2010] 9

एस**.** सी**.** आर**. 1039;** जी**.** पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य

(2010) 8 एससीसी **593:[2010] 10** एस**.** सी**.** आर**. 377-**पर निर्भर।

2.2 निचली अदालत द्वारा जिन अंतर्विरोधों पर विचार किया गया, उन्हें मामूली अंतर्विरोध नहीं कहा जा सकता है।उच्च न्यायालय ने बिना कोई ठोस कारण बताए केवल यह देखते हुए कि वे अंतर्विरोध मामूली अंतर्विरोध थे, निचली अदालत द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया है।**[**पैरा **6.1] [902-**डी-एफ**]**

ग

डी.

2.3 वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष और पीडब्लू**18-**आईओ के अनुसार, **8.9.2010** पर अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार पर, **9.9.2010** पर चाकू और रस्सी बरामद की गई थी।हालाँकि, पीडब्लू**4** और पीडब्लू**5** ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस स्निफर कुत्तों को **2.9.2010** पर लाई और स्निफर कुत्तों ने **2.9.2010** पर रस्सी, चाकू आदि बरामद किए।इसलिए, यहां तक कि पीडब्लू**4** और पीडब्लू**5** के अनुसार, स्निफर कुत्तों की मदद से **2.9.2010** पर रस्सी और चाकू बरामद किया गया था।हालाँकि, न तो एफ़**.** आई**.** आर**.** में स्निफ़र कुत्तों की मदद से **2.9.2010** पर चाकू और रस्सी की बरामदगी का उल्लेख किया गया था और न ही आई**.** ओ**.** ने अपनी जाँच**-**पड़ताल में ऐसा कहा है।अभियुक्तों को **8.9.2010** पर गिरफ्तार किया गया और उससे पहले **2.9.2010** पर जाँच अधिकारी ने उस स्थान का दौरा किया जहाँ से **2.9.2010** पर चाकू और रस्सी बरामद की गई थी।जिरह में, आई**.** ओ**.** ने स्वीकार किया कि वह उस स्थान पर गया था जहाँ से **2.9.2010** पर स्निफर कुत्तों के साथ चाकू बरामद किया गया था।उन्होंने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि इस तथ्य का उल्लेख प्राथमिकी या किसी गवाह के बयान में नहीं किया गया है।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष और आई**.** ओ**.** ने भौतिक तथ्यों को दबा दिया।यहां तक कि जिरह में भी, आई**.** ओ**.** ने कहा है कि स्निफर कुत्ते ने मौके पर कुछ नहीं किया था।जिरह में, उसके पास ए भी है

ई.

च

जी.

एच.

881

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

विशेष रूप से कहा गया है कि "यह सुझाव देना गलत है कि स्निफर कुत्ते ने स्ट्रिंग एक्स का पता लगाया था। पी**52,** चाकू एक्स। पी**59** और वेस्ट एक्स। पी**54**।हालाँकि, पीडब्लू**4** और पीडब्लू**5** ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि चाकू और रस्सी **2.9.2010** पर बरामद की गई थी।उपरोक्त को मामूली विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, निचली अदालत को अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार अभियुक्त के प्रकटीकरण बयानों और **9.9.2010** पर चाकू, रस्सी आदि की बरामदगी पर विश्वास न करने के लिए उचित ठहराया गया।सबूतों से, यह पता चलता है कि चाकू, रस्सी और बनियान **2.9.2010** पर बरामद किए गए थे, यानी **8.9.2010** से बहुत पहले जब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। **[**पैरा **6.1] [902-**एफ**-**एच**; 903-**ए**-**सी**]**

ग

2.4 यहां तक कि चंडीगढ़ से जीप की बरामदगी और तस्वीरों की बरामदगी और जीप से पीडब्लू **7** से संबंधित मोबाइल फोन की बरामदगी भी गंभीर संदेह पैदा करती है।जाँच अधिकारी ने धारा **166 (3)** के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किया।**4), Cr.P.C.** यहां तक कि उसने भी धारा **100 (4) Cr.P.C** के प्रावधानों का पालन नहीं किया। अकेले उपरोक्त प्रावधानों का पालन न करना आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है।हालाँकि**,** आसपास की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे मामले में जहां वसूली पर गंभीर रूप से संदेह है**,** उपरोक्त का पालन न करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**[**पैरा **7] [903-**डी**-**एफ**]**

डी.

ई.

रॉनी बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1998) 3** एससीसी **625:[1998] 2** एस**.** सी**.** आर**. 162;** सी**.** मुनियप्पन बनाम तमिल राज्य

नाडु (2010) 9 एस. सी. सी. 567:[2010] 10 एस. सी. आर. 262; पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह (1994) 3 एस. सी. सी. 299:[1994] 2

एस**.** सी**.** आर**. 208;** सुधा रेणुकैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

च

(2017) 13 एस**.** सी**.** सी**. 81-**संदर्भित।

2.5 मोबाइल फोन की बरामदगी के संबंध में**,** पीडब्लू **7** ने कहा है कि उसका मोबाइल चोरी या धोखा हुआ था**,** उसने पहले कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।यहां तक कि आई**.** ओ**.** ने भी मोबाइल के कॉल विवरण प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है।उन्होंने कॉल विवरण**,** मोबाइल से या उससे बातचीत को सत्यापित करने की कोशिश नहीं की है।यहां तक कि पीडब्लू**6** को बेचे जा रहे डिब्बों के संबंध में अभियुक्त का खुलासा बयान भी संदिग्ध और संदिग्ध पाया गया है।ट्रायल कोर्ट द्वारा इसके लिए ठोस कारण दिए गए हैं।**[**पैरा **8] [903-**जी**-**एच**; 904-**ए**]**

जी.

एच.

882 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 9 एस. सी. आर.

2.6 यदि उद्देश्य साबित हो जाता है**,** तो यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करेगा**,** लेकिन इसकी अनुपस्थिति अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है।हालाँकि**,** साथ ही**,** परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में है।**[**पैरा **9] [904-**सी**]**

सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य **(1995) 1** पूरक।

एससीसी 80:[1994] 1 पूरक।एस. सी. आर. 483; बाबू बनाम केरल राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 189:[2010] 9 एससीआर 1039-पर भरोसा किया गया।

2.7 ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए बरी होने का फैसला दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की पूरी श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है।इसलिए**,** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश को उलटना उचित नहीं है।**[**पैरा **10] [905-**सी**]**

ग

बन्नारेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य **(2018) 5** एस**.** सी**.** सी**. 790:[2018] 4** एस**.** सी**.** आर**. 623;** राजस्थान राज्य बनाम मुकेश कुमार उर्फ महेश धौलपुरिया **(2019) 7** एस**.** सी**.** सी**. 678;** राजस्थान राज्य बनाम मदन उर्फ मदनिया **(2019) 13** एस**.** सी**.** सी**.**

डी.

653 – संदर्भित किया गया।

निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

[2018] 4 एससीआर **623**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.1**

(2019) 7 एस**.** सी**.** सी**. 678**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.1**

(2019) 13 एस**.** सी**.** सी**. 653**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.1**

[1998] 2 एससीआर **162**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.4**

च

[2010] 10 एससीआर **262**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.4**

[1994] 2 एससीआर **208**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.4**।

(2017) 13 एस**.** सी**.** सी **81**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.4**

[2010] 9 एससीआर **1039**

पर भरोसा किया

पैरा **2**।**1**

जी.

[1998] 3 पूरक।एससीआर **594** पर भरोसा किया गया

पैरा **2**।**3**

[2019] 6 एससीआर **994**

पर भरोसा किया

पैरा **5.3**

[2010] 9 एससीआर **1039**

पर भरोसा किया

पैरा **5.4** ए

एच.

883

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

[2010] 10 एससीआर **377**

पर भरोसा किया

पैरा **5.5**

[1994] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 483** पर निर्भर

पैरा **9**

[2010] 9 एससीआर **1039**

पर भरोसा किया

पैरा **9**

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2016 की आपराधिक अपील संख्या 1121।

सी. आर. एल. में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 20.09.2016 के निर्णय और आदेश से। 2012 की अपील सं. 464।

मनन कुमार मिश्रा, अंजनी कुमार मिश्रा, मनदीप कौर मिश्रा, सुश्री अंजुल द्विवेदी, सुनील कुमार अग्रवाल, शिव राम पांडे, अभिमन्यु झांबा, सुश्री आर. ए. थोंपिनाव थंगल, आशीष झांब, सुश्री हेमलता रंगा, सुश्री हटनेई मावी, अभिनव मुखर्जी, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ग

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

डी.

1. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2012 की आपराधिक अपील संख्या 464 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के निर्णय और आदेश को उलट दिया है और परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं-मूल अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 34,392,201 और 420 के साथ पठनीय दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और इसमें अपीलकर्ताओं-मूल अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठनीय अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अपीलकर्ताओं-मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

च

2. कि इसमें अपीलकर्ताओं-मूल अभियुक्तों पर एक दीपक की हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 34,392,420 और 201 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।कि मृतक का शव बाईपास बिहाली रोड, चंडीगढ़ के पास 2.9.2010 पर मिला था।कि शव को पी. डब्ल्यू. 4, जसविंदर सिंह ने देखा था, जिसने भुंतर पुलिस स्टेशन को सूचित किया।इस तरह की जानकारी मिलने पर, पुलिस मौके पर आई; पीडब्लू 4 का बयान दर्ज किया; रुक्का तैयार किया और कांस्टेबल पुष्पराज, पीडब्लू 2 के माध्यम से उसे पुलिस स्टेशन, भुंतर भेजा।हेड कांस्टेबल द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी

जी.

एच.

884

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

तारा चंद।कि मृत शरीर की पहचान मृतक के पिता ने की थी।जाँच अधिकारी, पीडब्लू 18 ने जाँच की।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

एस. एच. ओ./एस. आई. नारायण को आई. डी. 1 पर गुप्त सूचना मिली कि चंडीगढ़ में एक वाहन (जीप) लावारिस हालत में पड़ा हुआ है।आई. ओ. अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ गए और सेक्टर 45 सी, चंडीगढ़ से लावारिस वाहन बरामद किया।जीप की जांच करने पर एक लिफाफा बरामद हुआ जिसमें मोबाइल फोन था, तीन तस्वीरें और वाहन के दस्तावेज जीप के डैश बोर्ड पर पड़े थे।आई. ओ. ने मेमो के माध्यम से वाहन और दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया।आई. ओ. ने बरामद मोबाइल से अपने मोबाइल पर डायल किया और नंबर 9805523262 पाया गया।बरामद तस्वीरों से, अभियुक्तों को पंडोह बजौरा आट स्थान पर तलाशी ली गई। दोनों अभियुक्तों को 8.9.2010 पर गिरफ्तार किया गया था।जाँच के दौरान, आई. ओ. ने पंजाब से डिब्बे बरामद किए।आई. ओ. ने एक चाकू और 09.09.2010 पर लगी रस्सी भी बरामद की, जिसका कथित तौर पर अपराध करने में इस्तेमाल किया गया था।जाँच के समापन के बाद, आई. ओ. ने उपरोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

ग

डी.

2.1 अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र में दिखाए गए 19 गवाहों में से सभी 9 गवाहों से पूछताछ की, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

ई.

Sl.No।	नाम
1	बीरी सिंह (कपड़ों की बरामदगी पर गवाह को प्रमाणित करना) (उदा. पी. डब्ल्यू. 2/सी एंड एक्स. P.W.2/D)
2	दिनेश सिंह (जीप की बरामदगी पर गवाह, तस्वीरें, मोबाइल) पूर्व। पी. डब्ल्यू. 1/ए
3	भाग्यशाली (कपड़ों की बरामदगी पर गवाह)
4	सुभाष (मृतक के पिता)
5	रामपाल, पीडब्लू 3 के अनुसार प्रकटीकरण बयान का गवाह
6	निरंजन सिंह वे रोपड़ (एक्स. टी.) से डिब्बों की जब्ती पर गवाह की पुष्टि कर रहे थे। पी. डब्ल्यू. 1/बी)
7	ज्योति कुमार, रोपड़ से डिब्बों की बरामदगी पर गवाह
8	राजेंद्र कोहली + सुशील कुमार
9	एच. सी. पुणे राम

च

जी.

एच.

885

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त गवाहों के दस्तावेजी साक्ष्य को भी रिकॉर्ड में लाया।साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के समापन के बाद, धारा 313, Cr.P.C के तहत आरोपी व्यक्तियों का बयान दर्ज किया गया।

निचली अदालत के समक्ष, अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से प्रकटीकरण बयानों, वाहन (जीप) की बरामदगी, मौके से चाकू और रस्सी की बरामदगी, मोबाइल और तस्वीरों (जीप से) की बरामदगी पर निर्भर था।निचली अदालत के समक्ष मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था क्योंकि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था।अभिलेख पर साक्ष्य, मौखिक और दस्तावेजी दोनों की सराहना पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने एक विस्तृत तर्क द्वारा खुलासा बयानों, चाकू और रस्सी की बरामदगी का कथित रूप से अपराध करने, मोबाइल की बरामदगी और जीप से तस्वीरों की बरामदगी के लिए उपयोग किए जाने पर विश्वास नहीं किया।साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने स्निफर कुत्तों के संबंध में सामग्री जानकारी को रोक दिया और साक्ष्य के मूल्यांकन पर पाया कि बरामदगी पहले की गई थी और उसी का पंचनामा बाद में तैयार किया गया था जिस पर पीडब्लू5 और पीडब्लू6 ने अपने हस्ताक्षर किए थे।यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की पूरी श्रृंखला को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा है और यह कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था, एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को उन अपराधों के लिए बरी कर दिया जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।

ग

डी.

ई.

2.2 राज्य की अपील पर, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय और आदेश को उलट दिया है और परिणामस्वरूप आरोपी को आई. पी. सी. की धाराओं, 34,392,420 और 201 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 392 के तहत अपराध के लिए सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक पर 1,000/- का जुर्माना लगाने और जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने की अवधि के लिए और कठोर कारावास की सजा सुनाई है।उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई है और आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए प्रत्येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने की अवधि के लिए और कठोर कारावास की सजा सुनाई है।उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।

च

जी.

एच.

886

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

दो साल की अवधि और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना देना और जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने की अवधि के लिए और कठोर कारावास।हालांकि, सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

2.3 उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलार्थियों को बरी करने और दोषी ठहराने के फैसले और आदेश को उलटने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी-मूल अभियुक्तों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

ग

i) कि उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और बरी करने के आदेश को उलटने और परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषी ठहराने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है;

(ii) कि उच्च न्यायालय ने संदेह, अनुमान और अनुमानों के आधार पर बरी किए जाने के फैसले को उलट दिया है;

डी.

(ग) विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की;

(iv) कि विद्वत विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के मूल्यांकन पर अभियुक्त के कहने पर चाकू और रस्सी की बरामदगी पर अविश्वास किया और यह अभिनिर्धारित किया कि जंजीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध गायब था;

ई.

v) कि विद्वत विचारण न्यायालय ने संदिग्ध प्रकटीकरण बयानों पर साक्ष्य की सराहना पर एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया;vi) कि उच्च न्यायालय यह समझने और विचार करने में विफल रहा है कि चाकू, जिसे कथित रूप से अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयानों पर बरामद किया गया है, पहले से ही स्निफर कुत्तों की मदद से 2.9.2010 पर बरामद किया जा चुका था, जिसे PW4 और PW5 के साक्ष्य से स्थापित किया गया था;(vii) कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि 09.09.2010 पर अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयानों पर कथित रूप से बरामद चाकू और रस्सी की बरामदगी मनगढ़ंत थी और अभियोजन मामले में कमियों को भरने के लिए;

च

जी.

एच.

887

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

viii) कि फोटो, पीडब्लू 7 का मोबाइल फोन और चंडीगढ़ से 6.9.2010 पर जीप की बरामदगी भी अपने आप में बहुत संदिग्ध है, जिस पर विद्वत ट्रायल कोर्ट द्वारा विस्तार से विचार किया गया;

ix) कि भुंतर पुलिस और आई. ओ. के उन क्षेत्रों में जांच करते समय अधिकार क्षेत्र की पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस को सूचित नहीं करने या उनकी मदद नहीं लेने के आचरण, जैसा कि धारा 166 (3) Cr.P.C और अन्य खामियों के तहत आवश्यक है, ने पूरे अभियोजन मामले को संदेह और संदिग्ध से भर दिया है;

x) कि आई. ओ. ने भी चंडीगढ़ के किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करने की कोशिश नहीं की है, हालांकि ठीक होने के समय कई लोग वहां थे;

ग

xi) कि पीडब्लू 7 के मोबाइल की रिकवरी भी बहुत संदिग्ध है।आई. ओ. ने कभी भी बरामद मोबाइल के कॉल विवरण का पता लगाने की कोशिश नहीं की।यहां तक कि उसने असली दोषियों के संपर्क विवरण का पता लगाने के लिए स्वयं मोबाइल के कॉल-लॉग को नहीं देखा।यहां तक कि आई. ओ. ने भी यह नहीं पूछा कि पी. डब्ल्यू. 7 का मोबाइल लूटने के बाद, उपद्रवियों द्वारा संपर्क किए गए व्यक्ति कौन थे; अभियुक्त द्वारा मोबाइल का उपयोग कैसे किया गया था; क्या अभियुक्त द्वारा मोबाइल रोपड़ ले जाया गया था; वे व्यक्ति कौन थे जो मोबाइल चंडीगढ़ ले जा रहे थे और अपीलकर्ताओं की तस्वीरों के साथ जीप में रखे गए थे? इन सभी प्रश्नों को मोबाइल के कॉल-लॉग/कॉल विवरण से आसानी से हल किया जा सकता था यदि यह वास्तव में चोरी हो गया था और जीप से बरामद किया गया था।

डी.

ई.

xii) कि अभियोजन पक्ष ने भी बरी सिंह, दिनेश सिंह, लकी, सुभाष (मृतक के पिता), राम पाल, निरंजन सिंह और ज्योति कुमार जैसे सर्वश्रेष्ठ भौतिक गवाहों से पूछताछ नहीं की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बरामदगी और जब्ती ज्ञापन पर भौतिक गवाहों से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित हुआ है और अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इन भौतिक गवाहों से पूछताछ क्यों नहीं की गई, इसका कोई कारण नहीं है, और अधिकांश पुलिस गवाहों को केवल अदालत में पेश किया गया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भौतिक गवाहों से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।

च

जी.

एच.

xiii) कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है।इसलिए, अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले, अभियोजन पक्ष को घटनाओं की पूरी श्रृंखला को साबित करना होगा जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलेगा कि केवल अभियुक्त ने ही अपराध किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है; और

xiv) कि भौतिक विरोधाभास हैं और यहां तक कि जीप से जीप, चाकू और रस्सी, तस्वीरों की बरामदगी, जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, संदिग्ध है और गंभीर संदेह पैदा करता है और इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को सही ढंग से बरी कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

ग

3.1 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और हमें पी. डब्ल्यू. 4, पी. डब्ल्यू. 5 और पी. डब्ल्यू. 18 के बयान पर ले जाना और इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना

बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189; बन्नारेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य (2018) 5 एस. सी. सी. 790; राजस्थान राज्य बनाम मुकेश कुमार उर्फ महेश धौलपुरिया (2019) 7 एस. सी. सी. 678; और राजस्थान राज्य बनाम मदन उर्फ मदनिया, (2019) 13 एस. सी. सी. 653,

डी.

यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और बरी करने के आदेश को बहाल किया जाए।

ई.

4. वर्तमान अपील का प्रतिवादी-हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा जोरदार विरोध किया गया है।4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने के बाद, मृतक दीपक कुमार की अप्राकृतिक मौत के लिए आरोपी को दोषी पाया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पूरे साक्ष्य की पुनः प्रशंसा की अनुमति है;

च

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार किया हैः

जी.

क) चंडीगढ़ से जीप, मोबाइल फोन और तस्वीरों की बरामदगी

ख) अपीलार्थी सं. के प्रकटीकरण बयान पर अपराध के हथियार की वसूली।1 – अनवर अली ए

एच.

889

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ग) अपीलार्थी सं. के प्रकटीकरण विवरण पर डिब्बों की वसूली।1 – अनवर अली

घ) अभियुक्त के कपड़ों की बरामदगी ङ) चिकित्सीय साक्ष्य

च) कोई बचाव साक्ष्य नहीं

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ पूर्व-वर्णित परिस्थितियों पर विचार करते हुए ठोस कारण दिए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य, विशेष रूप से पीडब्लू1, पीडब्लू3, पीडब्लू4, पीडब्लू5, पीडब्लू11 और पीडब्लू18 के बयान के पुनर्मूल्यांकन पर दोषी ठहराया है।

ग

4.4 अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से वसूली के समय स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करने और धारा 100 (4) के प्रावधानों का पालन न करने और अन्य संबंधित प्रावधानों का संबंध है, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि वसूली के समय एकत्र किए गए व्यक्ति केवल दर्शक थे और कोई भी मामले में गवाह के रूप में कार्य करने के लिए आगे नहीं आया था।

डी.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1998) 3 एस. सी. सी. 625 के मामले में इस न्यायालय द्वारा अन्यथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही गवाह को जांच एजेंसी द्वारा उनके साथ लाया गया हो, लेकिन उन पर केवल उसी आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

ई.

4.5 वैकल्पिक रूप से, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 100 Cr.P.C में निहित निर्देशिका प्रावधानों का पालन न करने को दोषपूर्ण जांच के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह न्याय के वितरण के रास्ते में नहीं आ सकता है।के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी जाती है

च

सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 567 (पैरा 55) के मामले में यह न्यायालय।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा राज्य के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है

पंजाब बनाम बलबीर सिंह, (1994) 3 एस. सी. सी. 299 (पैरा 6), एक दोषपूर्ण

जी.

यदि कोई जांच मुकदमे को दूषित नहीं करती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा अभिनिर्धारित किया गया है

सुधा रेणुकैया बनाम आंध्र राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा

प्रदेश, (2017) 13 एस. सी. सी. 81, जिसमें मुनियप्पन (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया था, कि भले ही आई. ओ. ने कोई त्रुटि की हो और किसी भी जांच को पूरा करने में या जांच में कुछ चूक और दोष हो, यह कानूनी दायित्व है।

एच.

न्यायालय की ओर से ऐसी खामियों के बारे में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच करना।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अपराध के हथियार की बरामदगी; जीप की बरामदगी; पी. डब्ल्यू. 7 की तस्वीरों की बरामदगी और चोरी किए गए मोबाइल फोन की बरामदगी; संबंधित गवाहों की जांच करके अभियोजन पक्ष द्वारा क्रेट की बरामदगी को संदेह से परे स्थापित और साबित किया गया है, जो कि मामूली विरोधाभासों के लिए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देता है।

4.6 अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के वर्तमान मामले में, तथ्य या प्राथमिक तथ्य स्थापित हो गया है और सामान्य कारण और प्राकृतिक घटनाओं और मानव आचरण और उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त के अपराध का संकेत देने वाली परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित हो गई है।रिलायंस को निर्णय पर रखा गया है

ग

डी.

जी. पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 593 (पैराग्राफ 22 से 24) के मामले में इस न्यायालय का।

इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भी बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है

ई.

विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में, (2019) 5

एस. सी. सी. 436, पैराग्राफ 30,31। 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 और उक्त निर्णय के 32।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में, बरी करने के आदेश के साथ उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर पूरे कानून पर विचार करने के बाद, यह देखा जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक बार बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार किया जाता है, तो उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का हकदार होगा। हालांकि, आम तौर पर, उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश की राय को उचित महत्व देगा यदि साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद ऐसा किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आगे देखा जाता है कि जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही भौतिक और निर्णायक पहलू की पूरी तरह से गलत धारणा बना ली है और यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का आदेश विकृत है और दुर्बलता से ग्रस्त है, तो उच्च न्यायालय के लिए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा खुला रहता है।

च

जी.

एच.

891

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

4.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है।हमने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय और आदेश के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का विस्तार से अध्ययन किया है और इस प्रकार अभियुक्त को दोषी ठहराया है।हमने मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के प्रासंगिक साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है।

5.1 शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलटने का मामला है।इसलिए, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित है?

ग

5.2 गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करने से पहले, दोषमुक्ति के खिलाफ अपील पर कानून और धारा 378 Cr.P.C के दायरे और दायरे और दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार किया जाना आवश्यक है।

डी.

5.2.1 बाबू (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने धारा 378 Cr.P.C के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को दोहराया था। पैराग्राफ 12 से 19 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

ई.

12. इस न्यायालय ने बार-बार उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।अपीलीय न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार नहीं करना चाहिए जहां दो विचार संभव हों, हालांकि अपीलीय न्यायालय का विचार अधिक संभावित हो सकता है। बरी किए जाने के फैसले पर विचार करते समय, अपीलीय अदालत को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करना होता है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या निचली अदालत के विचार विकृत थे या अन्यथा अस्थिर थे।अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने में, निचली अदालत स्वीकार्य साक्ष्य को ध्यान में रखने में विफल रही थी और/या कानून के विपरीत रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखा था।इसी तरह, सबूत का बोझ गलत तरीके से रखना भी अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच का विषय हो सकता है।(वीडियो

च

जी.

बालक राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 219, शंभू मिसिर

एच.

892 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 9 एस. सी. आर.

बनाम बिहार राज्य (1990) 4 एस. सी. सी. 17, शैलेंद्र प्रताप बनाम यू. पी. राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 761, नरेंद्र सिंह बनाम एम. पी. राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 699, बुद्ध सिंह बनाम यू. पी. राज्य (2006) 9 एस. सी. सी. 731, यू. पी. राज्य बनाम।राम वीर सिंह (2007) 13 एस. सी. सी. 102, एस. राम कृष्ण बनाम एस. रामी रेड्डी (2008) 5 एस. सी. सी. 535, अरुलवेलु बनाम राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206, पेरला सोमशेखर रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य (2009) 16 एस. सी. सी. 98 और राम सिंह बनाम एच. पी. राज्य (2010) 2 एस. सी. सी. 445

13. शीओ स्वरूप बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 में,

प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार अवलोकन कियाः(आई. ए. पी. 404)

“... उच्च न्यायालय को हमेशा ऐसे मामलों को उचित महत्व देना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए जैसे (1) गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायाधीश के विचार; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान, एक ऐसी धारणा जो निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं होती है कि वह अपने मुकदमे में बरी हो गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा किए गए तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करने में एक अपीलीय न्यायालय की धीमी गति, जिसे गवाहों को देखने का लाभ मिला था।"14. कानून के उपरोक्त सिद्धांत का लगातार पालन किया गया है

ग

डी.

इस न्यायालय द्वारा।(तुलसीराम कानू बनाम राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 1, बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216, एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200, खेडू मोहटन बनाम बिहार राज्य (1970) 2 एस. सी. सी. 450, सांबशिवन बनाम केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412, भगवान सिंह बनाम एम. पी. राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 85 और गोवा राज्य बनाम संजय ठाकुरन (2007) 3 एस. सी. सी. 755 देखें।

ई.

च

15. चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस. सी. सी. 415 में,

इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नानुसार दोहरायाः(एस. सी. सी. पी. 432, पैरा 42)

"(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

जी.

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

एच.

893

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है।साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोषता का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता।दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

ग

डी.

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।"

16. घुरेलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 10 एस. सी. सी. 450 में, यह

ई.

अदालत ने उक्त विचार को दोहराते हुए कहा कि जिन मामलों में निचली अदालतों ने आरोपी को बरी कर दिया है, उनसे निपटने में अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि निचली अदालत का बरी होना इस धारणा को मजबूत करता है कि वह निर्दोष है।अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित महत्व देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि विचारण न्यायालय को गवाहों के व्यवहार को देखने का विशिष्ट लाभ था, और वह गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में था।

च

17. राजस्थान राज्य बनाम नरेश (2009) 9 एस. सी. सी. 368 में,

न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों की फिर से जांच की और कहा किः(एस. सी. सी. पी. 374, पैरा 20)

जी.

"20. ... बरी किए जाने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अदालत का मानना हो कि आरोपी की ओर उंगली उठाने वाले कुछ सबूत हैं।"

18. यू. पी. राज्य बनामबन्न (2009) 4 एस. सी. सी. 271, यह न्यायालय

कुछ उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ दी जिनमें न्यायालय

एच.

894

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित होगा।परिस्थितियों में शामिल हैंः(एस. सी. सी. पी. 286, पैरा 28)

"(i) उच्च न्यायालय का निर्णय तय कानूनी स्थिति की अनदेखी करके कानून के पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर आधारित है;

((ख) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य और दस्तावेजों के विपरीत हैं।

(iii) साक्ष्य से निपटने में उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था जिससे न्याय की गंभीर विफलता हुई; (iv) उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है जो गलत कानून और मामले के रिकॉर्ड पर तथ्यों पर आधारित है।

ग

(v) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए;

(vi) यह न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप करने में अत्यधिक अनिच्छुक होगा जब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने बरी करने का आदेश दर्ज किया है।"

डी.

धनपाल बनाम में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया गया है।

राज्य (2009) 10 एससीसी 401।

19. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि असाधारण मामलों में जहां मजबूर करने वाली परिस्थितियां हैं, और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है।अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए और आगे यह कि निचली अदालत का बरी होना उसकी निर्दोषता की धारणा को मजबूत करता है।नियमित तरीके से हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।"

ई.

च

(2. 2) पर जोर दिया गया।2 जब किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है, तो उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में निपटा गया है और उस पर विचार किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

जी.

"20. न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या बहिष्कार करके या ए को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए गए हैं।

एच.

895

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री।निष्कर्ष को विकृत भी कहा जा सकता है यदि यह "साक्ष्य के भार के खिलाफ" है, या यदि निष्कर्ष इतना अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि इसके दोष से पीड़ित है।

अविवेकीपन।(राजिंदर कुमार किन्द्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1984) 4 एस. सी. सी. 635, आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण बनाम गोपी नाथ एंड संस 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 312, त्रिवेणी रबर एंड प्लास्टिक बनाम सी. सी. ई. 1994 सप्लीमेंट।(3) एस. सी. सी. 665, गया दिन बनाम हनुमान प्रसाद (2001) 1 एस. सी. सी. 501, अरुवेलु बनाम राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206 और गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम एपी राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 636)।"

(2. 2) पर जोर दिया गया।3 यह आगे देखा जाता है, इस निर्णय का पालन करने के बाद

ग

कुलदिप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त (1999) के मामले में अदालत

2 एस. सी. सी. 10, कि यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा।लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

डी.

5.3 विजय मोहन सिंह (उपरोक्त) के हाल के फैसले में, इस न्यायालय को फिर से धारा 378 के दायरे और बरी होने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार करने का अवसर मिला।इस न्यायालय ने 1952 के बाद से इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया।पैराग्राफ 31 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

ई.

"31. इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया।

उमेदभाई जादवभाई (1978) 1 एस. सी. सी. 228 में।इससे पहले के मामले में

च

इस न्यायालय, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः प्रशंसा पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया।हालांकि, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया।उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पी. 233)

जी.

“10. एक बार जब बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार था।आम तौर पर, उच्च न्यायालय को उचित महत्व दिया जाएगा

एच.

सत्र न्यायाधीश की राय यदि उन पर साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद निर्णय लिया गया था।यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही भौतिक और निर्णायक पहलू की बिल्कुल गलत धारणा बनाई है।"

31.1.सम्बाशिवन बनाम केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412 में,

उच्च न्यायालय ने विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और अभियुक्त को रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने पर दोषी ठहराया, हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटने पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, यह संतुष्ट होने के बाद कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने का आदेश विकृत था और दुर्बलता से पीड़ित था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 416)

ग

डी.

“8. हमने यह पता लगाने के लिए अपील के तहत निर्णय का अध्ययन किया है कि क्या उच्च न्यायालय उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करता है।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने रमेश बाबूलाल दोशी मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सख्ती से कार्रवाई नहीं की है

ई.

v. गुजरात राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 225 अर्थात पहली बार

इस प्रश्न पर निष्कर्ष निकालना कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे, जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएंगे, हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उठाए गए सभी तर्कों को विधिवत पूरा करते हुए एक सुविचारित निर्णय दिया है।लेकिन फिर क्या यह गैर-अनुपालन स्वयं अपील के तहत निर्णय को दरकिनार करने को उचित ठहराएगा?हम सोचते हैं, नहीं।हमारे विचार में, ऐसे मामले में, अदालत का दृष्टिकोण जो एक अपीलीय अदालत के फैसले की वैधता पर विचार कर रहा है, जिसने निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलट दिया है, खुद को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए यदि साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से ए

च

जी.

एच.

असमर्थनीय है और क्या अपीलीय न्यायालय का निर्णय उन दुर्बलताओं से मुक्त है; यदि ऐसा है तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि निचली अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले को बाधित किया जाना चाहिए।लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निचली अदालत का फैसला किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, तो यह अभिनिर्धारित किए बिना नहीं रखा जा सकता है कि बरी करने के आदेश में अपीलीय अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय अदालत के फैसले को दो उचित विचारों के रूप में अलग रखा जाना चाहिए, केवल बरी करने के समर्थन में एक ही खड़ा होना चाहिए।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में निचली अदालत के फैसले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।"

ग

31.2.के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम केरल राज्य (1999)

3 एस. सी. सी. 309, यह देखने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की शिकायत में कुछ सार है कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश के अनुसार विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए सभी कारणों को स्वीकार नहीं किया है, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को यह पाए जाने के बाद रद्द करने से इनकार कर दिया कि बरी करने के आदेश को दर्ज करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कई पहलुओं पर जो निष्कर्ष निकाला गया था वह अस्थिर था।इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को बरी करते समय प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को खारिज करने में उचित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय को साक्ष्य की पुनः सराहना करने और अपना निष्कर्ष दर्ज करने का पूरी तरह से अधिकार था।इस अदालत ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच की और राय दी कि चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा पेश किए गए कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे।इस न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

डी.

ई.

च

जी.

31.3.एटली बनाम यू. पी. राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807 में, पैरा 5 में, यह

न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः(ए. आई. आर. पीपी. 809-10)

“5. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला बरी करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को इसे केवल प्रशंसा पर दरकिनार नहीं करना चाहिए था।

एच.

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य का नेतृत्व तब तक किया जाता है जब तक कि यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि विचारण न्यायाधीश का निर्णय विकृत था।हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि अपील के तहत बरी करने का फैसला विकृत था, तब तक वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकती।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय के लिए पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए खुला है, निश्चित रूप से, इस सुस्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा कमजोर नहीं है, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के फैसले से मजबूत होती है, जिसे गवाहों के आचरण को देखने का लाभ था, जिनके साक्ष्य उनकी उपस्थिति में दर्ज किए गए हैं।

ग

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील न्यायालय को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में साक्ष्य की सराहना करने की उतनी ही व्यापक शक्तियां हैं जितनी कि दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में, बशर्ते कि निर्दोष होने का अनुमान जिसके साथ अभियुक्त व्यक्ति निचली अदालत में शुरू होता है, अपीलीय चरण तक भी जारी रहता है और यह कि अपीलीय अदालत को निचली अदालत की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने बरी करने का आदेश दर्ज किया था।

डी.

ई.

यदि अपीलीय न्यायालय उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की समीक्षा करता है और एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो निर्णय को दूषित नहीं कहा जा सकता है।(इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम राज्य आकाशवाणी

1952 एस. सी. 52; विलायत खान बनाम यू. पी. एयर राज्य 1953 एस. सी. 122)

च

हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्क में कोई सार नहीं है कि उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं था।

31.4.के. गोपाल रेड्डी बनाम एपी राज्य (1979) 1 एससीसी 355 में,

इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जहां विचारण न्यायालय स्वयं को काल्पनिक संदेहों से ग्रस्त होने की अनुमति देता है, छोटे कारणों से विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार करता है और साक्ष्य पर विचार करता है जो मुश्किल से संभव है, यह उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह न्याय के हित में हस्तक्षेप करे, ऐसा न हो कि न्याय के प्रशासन का उपहास किया जाए।"

जी.

एच.

(जोर दिया गया)

899

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

5.4 यह भी ध्यान देने योग्य है और यह विवाद में नहीं है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि पूरी मानवीय संभावना के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य

साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।बाबू (उपरोक्त) के मामले में, इसे पैराग्राफ 22 से 24 में निम्नानुसार मनाया और रखा गया हैः

ग

“22. कृष्णन बनाम राज्य (2008) 15 एस. सी. सी. 430 में, इस न्यायालय ने

इसके पहले के निर्णयों की एक बड़ी संख्या पर विचार करते हुए निम्नलिखित रूप में देखा गयाः(एस. सी. सी. पी. 435, पैरा 15)

“15. ... इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिएः

डी.

(i) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, उन्हें दृढ़ता से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

((ख) वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली होनी चाहिए।

ई.

((ग) संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं; और

च

((iv) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।(देखें गंभीर बनाम स्टेट ऑफ

महाराष्ट्र (1982) 2 एससीसी 351 "

जी.

23. शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एस. सी. सी. 116 परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर थी कि श्रृंखला पूरी हो गई है और अभियोजन में कमजोरी या कमी को झूठे बचाव या याचिका से ठीक नहीं किया जा सकता है।पूर्ववर्ती स्थितियाँ

एच.

इससे पहले कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।वे इस प्रकार हैंः(एस. सी. सी. पी. 185, पैरा 153)

(i) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए" या "होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं;

((ख) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

((ग) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

ग

((iv) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए; और

(v) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा।

डी.

यू. पी. राज्य में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के विचार को दोहराया गया है।

बनाम सतीश (2005) 3 एस. सी. सी. 114 और पवन बनाम उत्तरांचल राज्य (2009) 15 एस. सी. सी. 259।

ई.

24. सुब्रमण्यम बनाम स्टेट ऑफ टी. एन. (2009) 14 एस. सी. सी. 415 में, जबकि

दहेज मृत्यु के मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि एक साथ रहने का तथ्य एक मजबूत परिस्थिति है, लेकिन अकेले मृतक पर हिंसा के किसी भी सबूत के अभाव में निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ सबूत होने चाहिए कि अकेले पति और पति इसके लिए जिम्मेदार थे।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ऐसी प्रकृति का नहीं होना चाहिए जो अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अस्थिर बना सके।(रमेश भाई बनाम स्टेट ऑफ

च

राजस्थान (2009) 12 एससीसी 603)।"

जी.

(जोर दिया गया)

5.5 यहां तक कि जी. पार्श्वनाथ (उपरोक्त) के मामले में भी इस न्यायालय ने

पैराग्राफ 23 और 24 में कहा गया है:“23. जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का होता है, वे परिस्थितियाँ जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है

एच.

901

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सबसे पहले, इसे पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।प्रत्येक तथ्य जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए, उसे व्यक्तिगत रूप से साबित किया जाना चाहिए।हालाँकि, इस सिद्धांत को लागू करने में एक ओर प्राथमिक या बुनियादी कहे जाने वाले तथ्यों और दूसरी ओर उनसे निकाले जाने वाले तथ्यों के बीच अंतर किया जाना चाहिए।प्राथमिक तथ्यों के प्रमाण के संबंध में, अदालत को साक्ष्य का न्याय करना होता है और यह तय करना होता है कि क्या वह साक्ष्य किसी विशेष तथ्य को साबित करता है और यदि वह तथ्य साबित हो जाता है, तो इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वह तथ्य आरोपी व्यक्ति के अपराध के निष्कर्ष की ओर ले जाता है।समस्या के इस पहलू से निपटने में, संदेह के लाभ का सिद्धांत लागू होता है।हालाँकि मामले में कोई लापता लिंक नहीं होना चाहिए, फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक लिंक प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सतह पर दिखाई दे

और इनमें से कुछ लिंक का अनुमान सिद्ध तथ्यों से लगाया जा सकता है।इन निष्कर्षों को निकालने में, अदालत को प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम और मानव आचरण और विशेष मामले के तथ्यों के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए।इसके बाद अदालत को सिद्ध तथ्यों के प्रभाव पर विचार करना होगा।

ग

डी.

24. दोषसिद्धि के उद्देश्य के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पर्याप्तता का निर्णय करने में, न्यायालय को सभी सिद्ध तथ्यों के कुल संचयी प्रभाव पर विचार करना होगा, जिनमें से प्रत्येक अपराध के निष्कर्ष को मजबूत करता है और यदि इन सभी तथ्यों का संयुक्त प्रभाव अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में निर्णायक है, तो दोषसिद्धि उचित होगी, भले ही यह हो कि इनमें से एक या अधिक तथ्य अपने आप में निर्णायक हैं/नहीं हैं।स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए और साबित करने के लिए मांगी गई परिकल्पना को छोड़कर हर परिकल्पना को बाहर करना चाहिए।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले कि अभियोजन पक्ष केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में सफल हो सके, उसे अभियुक्त द्वारा सुझाए गए प्रत्येक अनुमान को, चाहे वह कितना भी असाधारण और काल्पनिक क्यों न हो, खारिज कर देना चाहिए।सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा, जहां श्रृंखला में विभिन्न लिंक अपने आप में पूर्ण हैं, तो झूठी याचिका या झूठे बचाव को केवल अदालत को आश्वासन देने के लिए सहायता में बुलाया जा सकता है।"

ई.

च

जी.

एच.

6. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित है?6.1 वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने तस्वीरों की बरामदगी पर विचार किया; पीडब्लू 7 से संबंधित मोबाइल फोन की बरामदगी, आरोपी के कहने पर चाकू और रस्सी की बरामदगी और 9.9.2010 पर आरोपी के कथित प्रकटीकरण बयानों पर।अभियोजन पक्ष ने उस जीप की बरामदगी पर भी भरोसा किया जिसमें अभियुक्तों की तस्वीरें मिली थीं।अभियोजन पक्ष ने डिब्बों की बरामदगी के संबंध में आरोपी अनवर अली के प्रकटीकरण बयान पर भी भरोसा किया और उपरोक्त अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू5, पीडब्लू6 और पीडब्लू7 की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा किया।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना पर, निचली अदालत ने गवाहों के प्रकटीकरण बयानों के बयान और 9.9.2010 पर चाकू और रस्सी की बरामदगी में भौतिक विरोधाभास पाए और इस तरह आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार पर चाकू, रस्सी, टोकरे की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया और वह भी 9.9.2020 पर बरामद किया गया।तथापि, उच्च न्यायालय ने कोई ठोस कारण दिए बिना विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों में केवल यह कहते हुए हस्तक्षेप किया है कि वे अंतर्विरोध मामूली अंतर्विरोध थे और इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय केवल ऐसे गौण अंतर्विरोधों के आधार पर अभियुक्त को बरी करने में न्यायोचित नहीं था।हालाँकि, अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करने पर, हम विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा जिन अंतर्विरोधों पर विचार किया गया, उन्हें मामूली अंतर्विरोध नहीं कहा जा सकता है।वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष और पीडब्लू18-आईओ के अनुसार, 8.9.2010 पर अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार

पर, 9.9.2010 पर चाकू और रस्सी बरामद की गई थी।हालाँकि, पीडब्लू4 और पीडब्लू5 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस स्निफर कुत्तों को 2.9.2010 पर लाई और स्निफर कुत्तों ने 2.9.2010 पर रस्सी, चाकू आदि बरामद किए। इसलिए, यहां तक कि पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के अनुसार, स्निफर कुत्तों की मदद से 2.9.2010 पर रस्सी और चाकू बरामद किया गया था।हालाँकि, न तो एफ़. आई. आर. में स्निफ़र कुत्तों की मदद से 2.9.2010 पर चाकू और रस्सी की बरामदगी का उल्लेख किया गया था और न ही आई. ओ. ने अपनी जाँच-पड़ताल में ऐसा कहा है।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तों को 8.9.2010 पर गिरफ्तार किया गया था और उससे पहले 2.9.2010 पर जाँच अधिकारी ने उस स्थान का दौरा किया जहाँ से 2.9.2010 पर चाकू और रस्सी बरामद की गई थी।क्रॉस-ए में

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

903

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जाँच में, आई. ओ. ने स्वीकार किया कि वह उस स्थान पर गया जहाँ से 2.9.2010 पर स्निफर कुत्तों के साथ चाकू बरामद किया गया था।उन्होंने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि इस तथ्य का उल्लेख प्राथमिकी या किसी गवाह के बयान में नहीं किया गया है।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष और आई. ओ. ने भौतिक तथ्यों को दबा दिया।जिरह में भी आई. ओ. ने कहा है कि स्निफर कुत्ते ने मौके पर कुछ नहीं किया था।जिरह में, उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा है कि "यह सुझाव देना गलत है कि स्निफर कुत्ते ने स्ट्रिंग एक्स का पता लगाया था। पी52, चाकू एक्स। पी59 और वेस्ट एक्स। पी54।हालाँकि, पीडब्लू4 और पीडब्लू5 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि चाकू और रस्सी 2.9.2010 पर बरामद की गई थी।उपरोक्त को मामूली विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, निचली अदालत को अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार अभियुक्त के प्रकटीकरण बयानों और 9.9.2010 पर चाकू, रस्सी आदि की बरामदगी पर विश्वास न करने के लिए उचित ठहराया गया। सबूतों से, यह पता चलता है कि चाकू, रस्सी और बनियान 2.9.2010 पर बरामद किए गए थे, यानी 8.9.2010 से बहुत पहले जब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

ग

7. यहां तक कि चंडीगढ़ से जीप की बरामदगी और तस्वीरों की बरामदगी और जीप से पीडब्लू 7 से संबंधित मोबाइल फोन की बरामदगी भी गंभीर संदेह पैदा करती है।अभियोजन पक्ष और आई. ओ. के अनुसार, उसे एक गुप्त सूचना मिली कि चंडीगढ़ रोड पर एक जीप लावारिस हालत में पड़ी है और हालांकि दूरी लगभग 300 किलो मीटर थी, वह सीधे चंडीगढ़ गया और भुंतर के लोगों की उपस्थिति में जीप बरामद की।जाँच अधिकारी ने धारा 166 (3) के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किया।4), Cr.P.C. यहां तक कि उसने भी धारा 100 (4) Cr.P.C के प्रावधानों का पालन नहीं किया। अकेले उपरोक्त प्रावधानों का पालन न करना आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है।हालांकि, आसपास की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे मामले में जहां वसूली पर गंभीर रूप से संदेह है, उपरोक्त का गैर-अनुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डी.

ई.

च

8. यहां तक कि पीडब्लू 7 से संबंधित जीप से मोबाइल फोन की बरामदगी भी संदेह पैदा करती है।हालाँकि, पीडब्लू7 ने कहा है कि उनका मोबाइल चोरी या धोखा हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।यहां तक कि आई. ओ. ने भी मोबाइल के कॉल विवरण प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है।उन्होंने कॉल विवरण से मोबाइल पर या उससे बातचीत को सत्यापित करने की कोशिश नहीं की है।

जी.

यहां तक कि पीडब्लू6 को बेचे जा रहे डिब्बों के संबंध में अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान का भी संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में तथाकथित प्रकटीकरण बयान संदिग्ध पाया गया है

एच.

और संदिग्ध।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा इसके लिए ठोस कारण दिए गए हैं।

9. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष उद्देश्य को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा है और इसलिए अभियुक्त बरी होने का हकदार है, यह सच है कि उद्देश्य को साबित करने का अभाव अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।यह भी सच है और जैसा कि इस मामले में इस अदालत ने माना है

सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य 1995 पूरक (1) एस. सी. सी. 80

कि यदि उद्देश्य साबित हो जाता है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करेगा लेकिन उसकी अनुपस्थिति अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है।हालाँकि, उसी समय, जैसा कि बाबू (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा कहा गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में है।पैराग्राफ 25 और 26 में, इसे निम्नानुसार देखा और माना गया हैः

ग

“25. यू. पी. राज्य बनामकिशनपाल (2008) 16 एस. सी. सी. 73, यह न्यायालय

डी.

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में उद्देश्य के महत्व की जांच की और कहाः(एस. सी. सी. पीपी. 87-88, पैरा 38-39)

“38. ... उद्देश्य एक ऐसी चीज है जो मुख्य रूप से अभियुक्त स्वयं जानते हैं और अभियोजन पक्ष के लिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तव में उन्हें विशेष अपराध करने के लिए क्या बढ़ावा दिया या उकसाया गया।

ई.

39. उद्देश्य को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है जो साक्ष्य का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यदि साक्ष्य स्पष्ट और असंदिग्ध है और परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को साबित करती हैं, तो यह कमजोर नहीं होता है, भले ही उद्देश्य बहुत मजबूत न हो।यह भी तय किया गया कानून है कि उस मामले में मकसद अपना सारा महत्व खो देता है जहां चश्मदीद गवाहों का प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध है, क्योंकि भले ही आरोपी व्यक्तियों के लिए कोई विशेष अपराध करने का बहुत मजबूत मकसद हो, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है अगर चश्मदीद गवाहों का सबूत आश्वस्त नहीं करता है।इसी

तरह, भले ही कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो, लेकिन यदि चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य स्पष्ट और विश्वसनीय है, तो उद्देश्य की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता दोषसिद्धि के रास्ते में नहीं आ सकती है।"26. इस न्यायालय ने यह भी माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक है जो ए में वजन रखता है।

च

जी.

एच.

905

अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

अभियुक्त का पक्ष लेना।(पन्नयार बनाम स्टेट ऑफ टी. एन. (2009) 9

एससीसी 152)।"

(जोर दिया गया) 10.मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जो अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना पर आधारित थे, को या तो विकृत या अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है और/या यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर किसी भी भौतिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया।ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए बरी होने का फैसला दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की पूरी श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है।इसलिए, हमारी राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलटने में उचित नहीं है।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

ग

11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2012 की आपराधिक अपील संख्या 464 में पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है, और 2011 के सत्र परीक्षण संख्या 05 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेश और आदेश को पुनर्स्थापित किया गया है।अभियुक्त-अपीलार्थी, गामा अली के पुत्र अनवर अली और संपत मोहम्मद के पुत्र शरीफ मोहम्मद को किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं होने पर तुरंत रिहा कर दिया जाए।

डी.

ई.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

च

जी.

एच.